

मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजनान्तर्गत जाँच प्रतिवेदन

भाग एक

वधू की जानकारी

वर की जानकारी

वधू का नाम
पिता का नाम
पता
ग्राम पंचायत
तहसील
जिला
जन्मतिथि
समग्र सदस्य आईडी.....
मोबाईल नं.
आधार कार्ड नं.....
जाति
बी.पी.एल. नं.

वर का नाम
पता का नाम
पता
ग्राम पंचायत
तहसील
जिला
जन्मतिथि
समग्र सदस्य आईडी
मोबाईल नं.
आधार कार्ड नं.....
जाति

कन्या का **DBT active** बैंक खाता क्रमांक.....**IFSC**.....

उपरोक्त अनुसार मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजनान्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ जिसकी जाँच हमारे द्वारा की गई जाँच अनुसार निम्नवत स्थिति पाई गई :

1. वधू के अभिभावक म.प्र. के ग्राम.....ग्राम पंचायत.....तहसील.....
.....जिला.....के मूलनिवासी है ।

2. वर्तमान मे वधू (नाम)..... के द्वारा कन्या विवाह करने हेतु न्यूनतम वैधानिक आयु पूर्ण कर ली है । वर्तमान मे वधू की आयु जन्मतिथी अनुसार.....वर्ष है तथा वर (नाम)..... के द्वारा विवाह करने हेतु न्यूनतम वैधानिक आयु पूर्ण की ली है । वर्तमान मे वर की आयु जन्मतिथी अनुसार.....वर्ष है ।

3. वर एवं वधू का इससे पूर्व कभी विवाह नहीं हुआ है। ☐

अथवा

वर / वधू का पूर्व मे विवाह हुआ था किन्तु उनके पति/पत्नि की मृत्यु हो गई है। ☐
(मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न है)

अथवा

वर/वधू का पूर्व मे विवाह हुआ था किन्तु उनका कानूनी तलाक हो चुका है। ☐
(न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रति संलग्न है)

4. कन्या तथा कन्या के अभिभावक गरीबी रेखा से नीचे जीवन निर्वाह करते है, बी.पी.एल. क्रमांक..... है ।

//1//

निरंतर....

5. वर एवं वधू मे से (वर/वधू).....दिव्यांग है। दिव्यांगता का प्रकार.....
दिव्यांगता का प्रतिशत.....UDID नम्बर.....है।

उक्त जाँच प्रतिवेदन आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं प्रस्तुत सह अभिलेख के आधार पर तथा स्थानीय ग्रामवासीयो के कथनानुसार पंचनामा अनुसार एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि, सचिव, पटवारी, ग्राम रोजगार सहायक, आंगनवाडी कार्यकर्ता, ए.एन.एम., कोटवार के प्रमाणीकरण किए जाने के उपरान्त पात्र किया गया है। इसमे किसी भी प्रकार की जानकारी असत्य पाई जाने की स्थिति मे सम्पूर्ण प्रदत्त राशि संबंधित वधू से भूराजस्व के तहत वसूल की जावेगी।

उपरोक्त दर्शित तथ्यो व आवेदन मे वर्णित बिन्दुओ का परीक्षण सुक्ष्मता से किया गया। आवेदन को परीक्षण उपरान्त मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजनान्तर्गत पात्रता के सभी प्रावधानो के अनुसार पात्र पाया गया है। अतः मु.मं. कन्या विवाह सहायता हेतु निर्धारित राशि रु. 49000/- दिया जाना उचित होगा।

कोटवार	आंगनवाडी कार्यकर्ता	ए.एन.एम.	ग्राम रोजगार सहायक
ग्राम पंचायत.....	ग्राम पंचायत.....	उपस्वास्थ्य केन्द्र.....	ग्राम पंचायत.....

पटवारी	सचिव	सरपंच
हल्का नं.....	ग्राम पंचायत.....	ग्राम पंचायत.....

भाग दो

ग्राम पंचायत स्तरीय जाँच समिति द्वारा प्रदत्त रिपोर्ट व आवेदन की पात्रता का परीक्षण किया गया

कलस्टर प्रभारी
जाँच अधिकारी

परिशिष्ट-1
आवेदन प्रारूप (निःशुल्क)

मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना हेतु
आवेदन प्रारूप

दिनांक.....

प्रति,

1. आयुक्त नगर निगम
नगर निगम.....
जिलाम.प्र.।
या
2. मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर निगम/नगर परिषद.....
जिलाम.प्र.।
या
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत
जिलाम.प्र.।

आवेदिका (वधु) का नवीन पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ	आवेदिका के वर का नवीन पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ
--	--

विषय:- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (संशोधित योजना 2022) अंतर्गत सहायता प्रदाय करने बावत।

भाग- 1 : आवेदिका (वधु) की जानकारी

1. वधु की 9 अंकों की समग्र आईडी क्रमांक

(वधु की समग्र आईडी यदि नहीं हो तो संबंधित निकाय द्वारा समग्र आईडी उपलब्ध कराई जायेगी)
2. वधु का 12 अंकों का आधार नम्बर
3. वधु का नाम
4. वधु की माता का नाम
5. वधु के पिता/अभिभावक का नाम
6. जाति वर्ग

एससी

एसटी

ओबीसी

सामान्य
7. वधु की जन्म तिथि/...../.....आयु..... (विवाह के दिनांक को वधु की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होना अनिवार्य है)

8. वधु/अभिभावक का 10 अंकों का मोबाईल नम्बर.....
9. वधु का वर्तमान निवासी स्थान व पूर्ण पता
निवासी..... ग्राम/नगर.....
निकाय.....जिला.....राज्य
10. वधु/ वधु के अभिभावक का मूल निवासी स्थान व पूर्ण पता.....
निवासी..... ग्राम/नगर.....
निकाय.....जिला.....राज्य
11. क्या वधु श्रम विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश भवन एवं संनिर्माण कर्मकार मण्डल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक परिवार की सदस्य है? हां/नहीं-
यदि हां तो श्रमिक कार्डधारी का नाम..... कार्ड क्रमांक
जारी दिनांककार्ड वैधता दिनांकआवेदन प्रथम, द्वितीय
अथवा तृतीय कन्या हेतु किया गया है यहाँ स्पष्ट करें
12. क्या वधु दिव्यांग है? हां / नहीं
यदि हां तो दिव्यांगता का प्रकार प्रतिशत..... तथा
यूडीआईडी कार्ड का नम्बर
13. कल्याणी(विधवा)/परित्यक्ता होने की स्थिति में पूर्व पति का नाम
..... एवं पूर्व विवाह होने की दिनांक
14. परित्यक्ता होने की स्थिति में विवाह विच्छेद होने का
दिनांक.....(न्यायलयीन आदेश के दिनांक को यहां भरा जाये)
15. कल्याणी(विधवा) होने की स्थिति में स्व. पति के मृत्यु प्रमाण पत्र का
क्रमांक..... दिनांक

आवेदिका(वधु) के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

भाग- 2
:: वधु का स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र ::

मैं पिता

निवासी..... ग्राम/नगर.....

निकाय.....जिला.....राज्य

सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करती हूं, कि –

1. मेरा इससे पहले कभी विवाह नहीं हुआ,
अथवा
2. मेरा पूर्व में विवाह हुआ किन्तु मेरे पति की मृत्यु हो गई है,
अथवा
3. मेरा पूर्व में विवाह हुआ किन्तु मेरा पति से कानूनी तलाक हो चुका है,

मैं मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता योजना प्राप्त करने हेतु पात्र हूँ। ऊपर बताई गई जानकारी व आवेदन पत्र में उल्लेखित जानकारी सही है। यदि जानकारी असत्य पाई जाती है तो मेरा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। यदि मेरे द्वारा कोई तथ्य छिपाकर सहायता राशि प्राप्त कर ली गई है तो मुझसे मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना राशि जिला प्रशासन द्वारा वसूल की जा सकती है। मैं विवाह अपनी सहमति से कर रही हूँ साथ ही आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज का उपयोग विभागीय योजनाओं में करने पर सहमत हूँ।

दिनांक

स्थान

आवेदिका (वधु) के हस्ताक्षर/
अंगूठे का निशान

भाग- 3
:: वर की जानकारी ::

1. वर की समग्र आईडी क्रमांक

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(वर मध्यप्रदेश का निवासी नहीं होने की स्थिति में अनिवार्य नहीं)
2. वर का आधार कार्ड नम्बर

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3. वर का नाम
4. पता..... ग्राम/नगर.....
निकाय..... जिला..... राज्य.....
5. वर की माता का नाम
6. वर के पिता/अभिभावक का नाम
7. वर की जाति वर्ग

एससी	एसटी	ओबीसी	सामान्य
------	------	-------	---------
8. वर की जन्म तिथि/...../..... आयु..... (विवाह के दिनांक को वर की आयु न्यूनतम 21 वर्ष होना अनिवार्य है।)
9. वर का मोबाईल नम्बर
10. क्या वर दिव्यांग है? हां / नहीं
यदि हां तो दिव्यांगता का प्रकार प्रतिशत.....
तथा यूडीआईडी कार्ड का नम्बर

वर के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

भाग- 4

:: वर का स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र ::

मैं पिता

पता..... ग्राम/नगर.....

निकाय.....जिला.....राज्य

सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूं, कि –

1. मेरा इससे पहले कभी विवाह नहीं हुआ,

अथवा

2. मेरा पूर्व में विवाह हुआ किन्तु पत्नी की मृत्यु हो गई है,

अथवा

3. मेरा पूर्व में विवाह हुआ किन्तु पत्नी से कानूनी तलाक हो चुका है,

ऊपर बताई गई जानकारी व आवेदन पत्र में उल्लेखित जानकारी सही है। यदि जानकारी असत्य पाई जाती है तो मेरा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। मैं यह विवाह अपनी सहमति से कर रहा हूं साथ ही आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज का उपयोग विभागीय योजनाओं में करने पर सहमत हूं।

दिनांक

स्थान

वर के हस्ताक्षर/
अंगूठे का निशान

भाग- 5
:: विवाह की जानकारी ::

1. आवेदन का दिनांक
2. विवाह दिनांक विवाह स्थान
3. निकाय का नाम जिला म.प्र.

संलग्न दस्तावेज का विवरण –

1. वधु/वधु के अभिभावक का मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र,
2. वधु व उसके वर के समग्र परिवार आईडी कार्ड की छायाप्रति (वर मध्यप्रदेश का निवासी नहीं होने की स्थिति में अनिवार्य नहीं),
3. वधु व वर का आधार कार्ड की छायाप्रति,
4. वधु व वर का आयु प्रमाण पत्र। आयु की पुष्टि हेतु वधु व वर का निम्न में से कोई एक दस्तावेज -

☐	1) स्कूल का प्रमाण पत्र (टी.सी.)	☐	2) अंक सूची जिसमें जन्म तिथि अंकित हो
☐	3) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया, जन्म प्रमाण पत्र	☐	4) मतदाता सूची/मतदान परिचय पत्र जिसमें आयु अथवा जन्म तिथि अंकित हो
☐	5) शासकीय चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा आयु हेतु जारी प्रमाण पत्र	☐	6) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम का जाब कार्ड
☐	7) अन्य दस्तावेज जो आयु सिद्ध करने हेतु कानूनी रूप से स्वीकार्य हो		

5. वधु व उसके वर के पासपोर्ट साइज के दो-दो फोटोग्राफ।
6. वधु व वर का मोबाईल नम्बर
7. कल्याणी(विधवा) होने की स्थिति में पूर्व पति का मृत्यु प्रमाण पत्र,
8. परित्यक्त महिला होने की स्थिति में कानूनी रूप से तलाक होने का न्यायालयीन आदेश की प्रतिलिपि,
9. यदि आवेदक मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक है तो श्रमिक पंजीयन कार्ड की छायाप्रति।

दिनांक

स्थान

आवेदिका(वधु) के
अंगूठे का निशान

हस्ताक्षर/

वर के हस्ताक्षर/
अंगूठे का निशान

वर पक्ष
प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कु./श्री.....
पिता..... निवासी ग्राम.....
ग्राम पंचायत.....की/का मूल निवासी होकर मेरी
जानकारी अनुसार कु./श्री..... की उम्र.....है
तथा अविवाहित है, जो प्रमाणित की जाती है।
(संलग्न अंकसूची या प्रमाणित प्रति हो तो)

सरपंच
ग्राम पंचायत.....

सचिव
ग्राम पंचायत.....

वधू पक्ष
प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कु./श्री.....
पिता..... निवासी ग्राम.....
ग्राम पंचायत.....की/का मूल निवासी होकर मेरी
जानकारी अनुसार कु./श्री..... की उम्र.....है
तथा अविवाहित है, जो प्रमाणित की जाती है।
(संलग्न अंकसूची या प्रमाणित प्रति हो तो)

सरपंच
ग्राम पंचायत.....

सचिव
ग्राम पंचायत.....

:: वधु पक्ष ::

मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजनांतर्गत जांच प्रतिवेदन

दिनांक.....

1. आवेदिका का नाम.....
2. पता.....ग्राम/नगर.....
निकाय.....जिला.....राज्य.....
3. माता का नाम.....
4. पिता/अभिभावक का नाम.....
5. जन्मतिथि

--	--	--	--

 आयु.....वर्ष
6. जाति वर्ग.....

एससी	एसटी	ओबीसी	सामान्य
------	------	-------	---------
7. आवेदिका का पूर्व में कोई विवाह/निकाह नहीं हुआ है,यदि हुआ है तो उसका विवरण.....
.....
8. आवेदिका दिव्यांग है तो उसका विवरण.....
.....
9. आवेदिका के माता/पिता/अभिभावक म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल योजना अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक है तो उसका विवरण.....
.....
10. जाँच अधिकारी की टीप :- जाँच अधिकारी द्वारा जांच पश्चात पात्र/अपात्र पाये जाने की स्पष्ट अनुशंसा अंकित की जावे-.....
.....
.....
.....
.....
11. आवेदिका की पात्रता का सूक्ष्मता से परीक्षण कर यह जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

जाँच अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील

जाँच अधिकारी का नाम.....

जाँच अधिकारी का पदनाम.....

निकाय का नाम.....

:: वधु पक्ष ::
मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजनांतर्गत
//पंचनामा//

प्रमाणित किया जाता है कि कन्या का नाम
पिता का नाम ग्राम पंचायत/वार्ड.....
जनपद पंचायत/नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद.....
तहसीलजिला.....(म0प्र0) का पूर्व में
विवाह नहीं हुआ है एवं इनके द्वारा सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के द्वारा
संचालित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना/मुख्यमंत्री निकाह योजना का लाभ पूर्व में नहीं लिया गया
है।

हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

प्रधान(सरपंच)/पार्षद का नाम.....

ग्राम पंचायत/वार्ड का नाम.....

मोबाईल नंबर.....

हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

सचिव/जोन प्रभारी/आर.आई/ए.आर.आई./वार्ड प्रभारी

का नाम.....

ग्राम पंचायत/वार्ड का नाम.....

मोबाईल नंबर

हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

ग्राम रोजगार सहायक/वार्ड मोहरीर

का नाम.....

ग्राम पंचायत/वार्ड का नाम.....

मोबाईल नंबर

हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का नाम.....

ग्राम पंचायत का नाम.....

मोबाईल नंबर

हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

ग्राम कोटवार का नाम.....

ग्राम पंचायत का नाम.....

मोबाईल नंबर

:: वर पक्ष ::
मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजनांतर्गत
//पंचनामा//

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक(वर) का नाम
पिता का नाम ग्राम पंचायत/वार्ड.....
जनपद पंचायत/नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद.....
तहसीलजिला.....(म0प्र0) का पूर्व में
विवाह नहीं हुआ है एवं इनके द्वारा सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के द्वारा
संचालित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना/मुख्यमंत्री निकाह योजना का लाभ पूर्व में नहीं लिया गया
है।

हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

प्रधान(सरपंच)/पार्षद का नाम.....

ग्राम पंचायत/वार्ड का नाम.....

मोबाईल नंबर.....

हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

सचिव/जोन प्रभारी/आर.आई/ए.आर.आई./वार्ड प्रभारी

का नाम.....

ग्राम पंचायत/वार्ड का नाम.....

मोबाईल नंबर

हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

ग्राम रोजगार सहायक/वार्ड मोहरीर

का नाम.....

ग्राम पंचायत/वार्ड का नाम.....

मोबाईल नंबर

हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का नाम.....

ग्राम पंचायत का नाम.....

मोबाईल नंबर

हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

ग्राम कोटवार का नाम.....

ग्राम पंचायत का नाम.....

मोबाईल नंबर

ॐ.. मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना ..ॐ

आवश्यक दस्तावेजों की सूची

✦ आवेदन फॉर्म

ॐ..कन्या संबंधित दस्तावेज..ॐ

- ✦ 2 पासपोर्ट साइज फोटो
- ✦ नवीनतम समग्र परिवार आई.डी.
- ✦ अंकसूची (मार्कशीट)
(जिसमें जन्मतिथि का उल्लेख हो)
या
शाला प्रमाण पत्र/टी.सी.
(जिसमें जन्मतिथि का उल्लेख हो)
या
जन्म प्रमाण पत्र
- ✦ बैंक पासबुक की छायाप्रति
- ✦ आधार कार्ड
- ✦ कन्या पक्ष के दो मोबाईल नंबर
आवेदन में लिखे हुये होना चाहिये।
- ✦ मूल निवासी प्रमाण पत्र
- ✦ निकाय का प्रमाण पत्र/पंचनामा
(कन्या का पूर्व में विवाह नहीं हुआ)
- ✦ कर्मकार कार्ड की छायाप्रति
(यदि हो तो)
 - वोटर आई.डी.
 - राशन कार्ड
 - अन्य दस्तावेज

ॐ..वर संबंधित दस्तावेज..ॐ

- ✦ 2 पासपोर्ट साइज फोटो
- ✦ नवीनतम समग्र परिवार आई.डी.
- ✦ अंकसूची (मार्कशीट)
(जिसमें जन्मतिथि का उल्लेख हो)
या
शाला प्रमाण पत्र/टी.सी.
(जिसमें जन्मतिथि का उल्लेख हो)
या
जन्म प्रमाण पत्र
- ✦ आधार कार्ड
- ✦ वर पक्ष के दो मोबाईल नंबर
आवेदन में लिखे हुये होना चाहिये।
- ✦ निकाय का प्रमाण पत्र/पंचनामा
(वर का पूर्व में विवाह नहीं हुआ)
 - वोटर आई.डी.
 - राशन कार्ड
 - अन्य दस्तावेज

⇒ जिन दस्तावेजों में स्टार (✦) लगा है, वे दस्तावेज अनिवार्य हैं।

⇒ कन्या का बैंक खाता चालू (एक्टिव) होना चाहिये।

⇒ आवेदन पत्र के साथ उपरोक्त क्रमानुसार ही दस्तावेजों को संलग्न कर प्रस्तुत करें।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना

कार्यालय नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद/ जनपद पंचायत

.....जिलाम.प्र.

:: पावती ::

क्रमांक

दिनांक

आवेदिका(वधू)..... समग्र आईडी

वर..... समग्र आईडी

वधू पता..... ग्राम/नगर.....

निकाय..... जिला.....राज्य

द्वारा सामूहिक विवाह कार्यक्रम स्थान दिनांक

.....में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए किया गया आवेदन

पत्र मेरे द्वारा प्राप्त किया गया जिसके साथ निम्नानुसार दस्तावेज संलग्न पाये गये

है।

संलग्न दस्तावेज का विवरण –

1. मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र,
2. वधू व वर के समग्र परिवार आईडी कार्ड की छायाप्रति,
3. वधू व वर आधार कार्ड की छायाप्रति,
4. वधू व वर के का आयु प्रमाण पत्र,
5. वधू व वर के पासपोर्ट साईज के दो-दो फोटोग्राफ,
6. कल्याणी(विधवा) होने की स्थिति में पूर्व पति का मृत्यु प्रमाण पत्र,
7. परित्यक्त महिला होने की स्थिति में कानूनी रूप से तलाक होने का न्यायालयीन आदेश,
8. पंजीकृत श्रमिक होने की स्थिति में श्रमिक पंजीयन कार्ड की छायाप्रति ।

नाम/पदनाम/हस्ताक्षर

आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी/

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद/ जनपद पंचायत,

जिलामध्यप्रदेश

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजनांतर्गत जांच प्रतिवेदन

दिनांक

1. आवेदिका का नाम :
2. पता :ग्राम/नगर.....
निकाय..... जिला.....राज्य
3. माता का नाम :
4. पिता/अभिभावक का नाम :
5. जन्मतिथि/आयु :-
a. वधू - / / (dd/mm/yyyy)
b. वर - / / (dd/mm/yyyy)
6. आवेदिका विधवा/परित्यक्ता श्रेणी की है तो उसका विवरण.....
.....
7. जांच अधिकारी की टीप:-जांच अधिकारी द्वारा जांच पश्चात पात्र/ अपात्र पाये जाने की स्पष्ट अनुशंसा अंकित की जावे-
.....
.....
.....
.....

हमारे द्वारा उक्त आवेदनकर्ता की पात्रता का सूक्ष्मता से परीक्षण कर यह जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

जांच समिति (सदस्य) के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

नाम	पदनाम	हस्ताक्षर

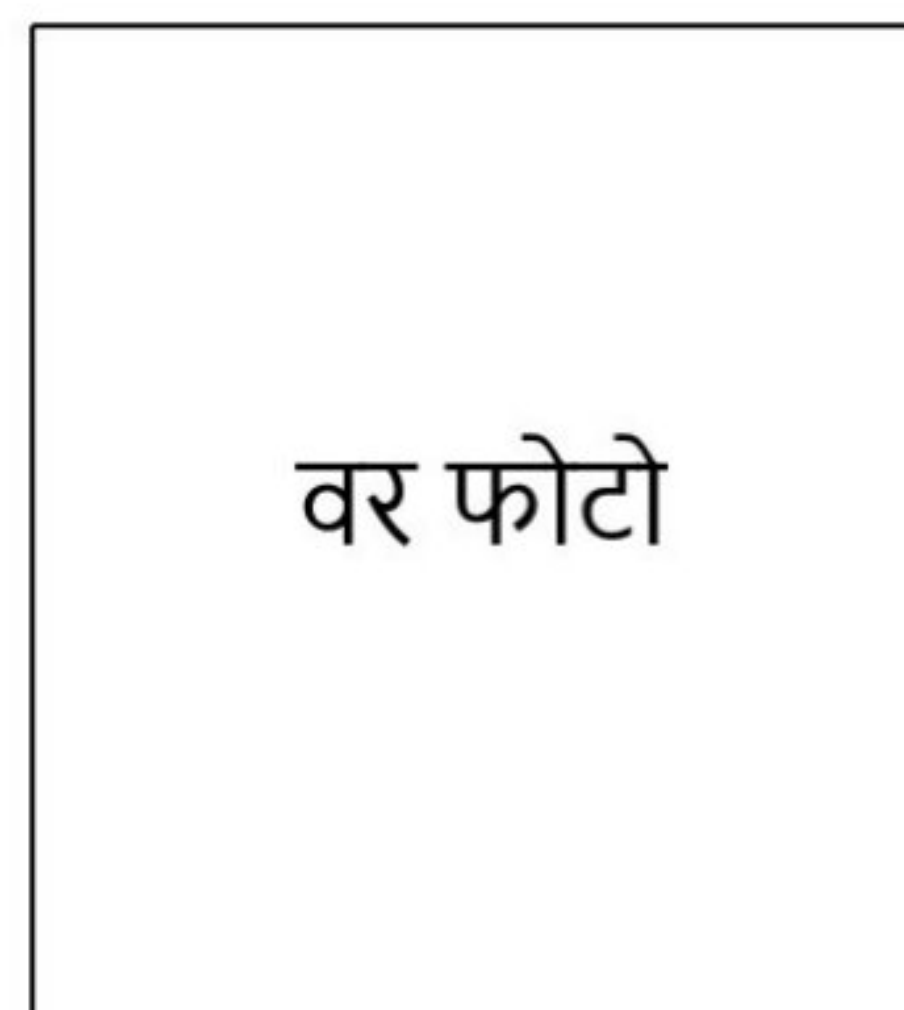
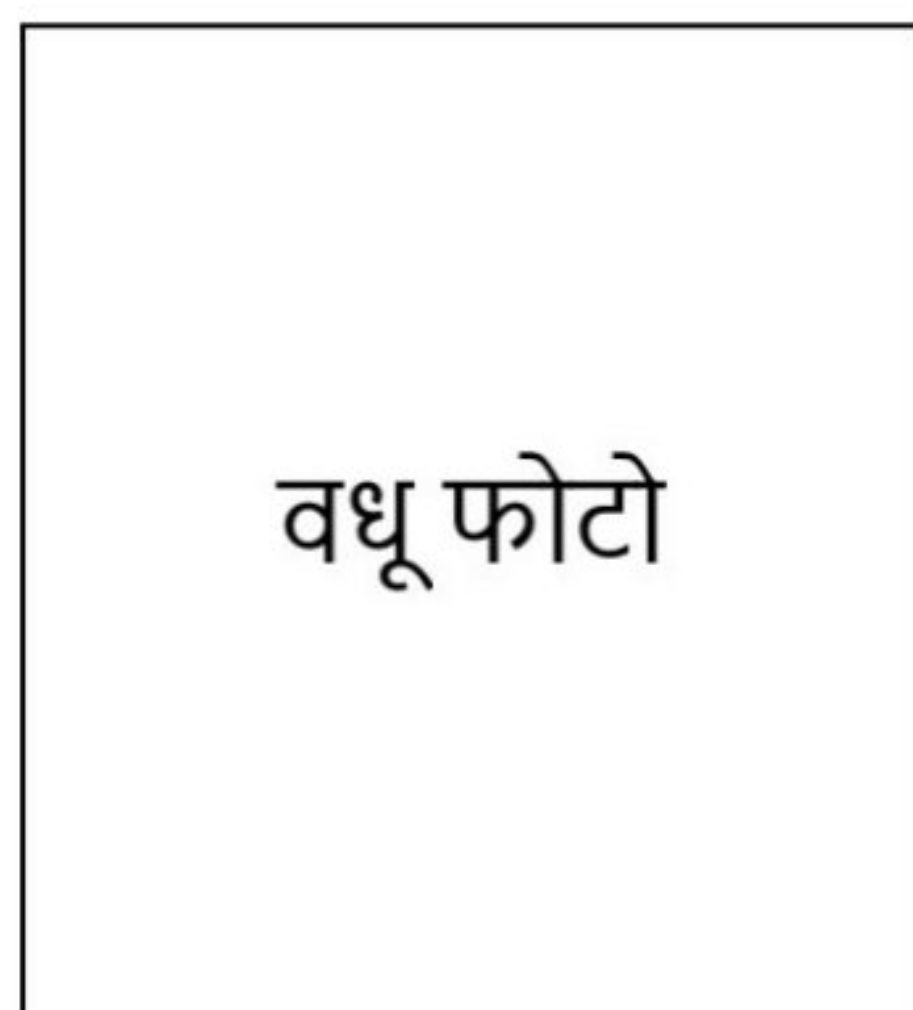
मध्यप्रदेश शासन,
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग

क्रमांक

दिनांक :

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत सम्पन्न विवाह का

प्रमाण-पत्र



सौभाग्यवती.....पुत्री श्री.....

पता.....ग्राम/नगर

निकाय.....जिला..... म.प्र. का विवाह

श्री..... पुत्र श्री

पता.....ग्राम/नगर

निकाय.....जिला.....राज्य.....के

साथ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत स्थान में

आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में दिनांकको सम्पन्न हुआ।

**नव-दम्पति के सुखमय जीवन एवं उज्ज्वल भविष्य की
कामना करते हैं ।**

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर

निकाय का नाम/सील

.....
जिला..... म.प्र.।